संख्या- 06/ 2020 /ए-1- 303 /दस-2020-10(28)/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2020

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/2020/ए-1-246/दस-2020-10(28)/2011, दिनांक 05 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप माह मार्च, 2020 में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिलों को प्राप्त कराने एवं कोषागार स्तर पर उनके परीक्षण एवं पारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्तिम वित्तीय माह में अधिक कार्य होने के कारण कतिपय विभागों द्वारा आवश्यक भुगतानों से सम्बन्धित देयक दिनांक 25 मार्च, 2020 तक कोषागारों में प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं और शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2 के क्रम में प्रदेश के कई कोषागारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 25 मार्च, 2020 के पश्चात् देयक पारण के लिए स्वीकार नहीं किए जाने की सम्भावना है।

3- अत: विभागों को होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी कोषागारों में समस्त देयक दिनांक 31 मार्च, 2020 तक समय से अवश्य प्रस्तुत कर दें ताकि कोषागारों द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेण्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 06/2020/ए-1-303 (1)/दस-2020-10(28)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5- उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर-208001
6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।